

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना मेंहनाजपुर

युवती के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना:-

दिनांक 29.04.23 को वादिनी थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त लक्ष्मण राजभर पुत्र बीरबल राजभर ग्राम करसड़ा थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी की पुत्री को बहला- फुसलाकर भगा ले जाया गया। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 89/23 धारा 366 भा0द0वि0 बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में पीडिता के बयान के बाद धारा 376,494 भादवि की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण :-

आज दिनांक 18.05.2023 को उ0नि0 हृदयानन्द मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त लक्ष्मण राजभर पुत्र बीरबल राजभर ग्राम करसड़ा थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़ को सिधौना चौराहे से समय करीब 08.20 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 89 /23 धारा 366,376,494 भादवि थाना मेंहनाजपुर,आजमगढ़

अपराधिक इतिहास:-*

मु0अ0सं0 89 /23 धारा 366,376,494 भादवि थाना मेंहनाजपुर,आजमगढ़

* गिरफ्तार अभियुक्त :-*

लक्ष्मण राजभर पुत्र बीरबल राजभर ग्राम करसड़ा थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम

उ0नि0 हृदयानन्द मय हमराह थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़

थाना निजामाबाद

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण -

दिनांक 18.05.23 को उ0नि0 कुलदीप सिंह मय हमराह द्वारा अभियुक्त रामदर्शन पुत्र केदार यादव निवासी ग्राम नेवादा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को दुबौलिया पुलिया के पास से समय करीब 4.10 बजे गिरफ्तार कर थाने पर लाया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 01अदद अवैध तमंचा .315 बोर व 01अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 226/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0सं0- 226/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास -

मु0अ0सं0 144/23 धारा 60 आब0 अधि0 थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

राम दर्शन पुत्र केदार यादव नि0 नेवादा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र 27 वर्ष

बरामदगी-

01अदद अवैध तमंचा .315 बोर व 01अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

उ0नि0 कुलदीप सिंह मय हमराह थाना निजामाबाद, आमजगढ़

थाना जीयनपुर

नौकरी दिलवाने के नाम पर पैसा लेने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटनाका विवरण -

दिनांक 04.01.2023 को वादी जयप्रकाश यादव पुत्र तिलकू यादव साकिन हरई इस्माइलपुर थाना जीयनपुर जिला आजमगढ़ का तहरीर मा0 न्यायालय आजमगढ़ द्वारा आदेशित शुदा प्रार्थना पत्र जरिये पेशी पैड प्राप्त हुआ, जिसमें वादी द्वारा बताया गया था कि अभियुक्तों 1.मनोज कुमार पुत्र सुरेश राम निवासी चांदमारी इमिलिया थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ हाल पता अजय नगर कामता चिनहट लखनऊ पूर्वी कमिश्नरेट लखनऊ 2. सीमा सेठ पुत्र मनोज कुमार निवासी चांदमारी इमिलिया थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ हाल पता अजय नगर कामता चिनहट लखनऊ पूर्वी कमिश्नरेट लखनऊ उ0प्र0 द्वारा वादी के पुत्र मोहन से नौकरी लगवाने के नाम पर 705000 रुपया ले लिया गया व कूट रचित फर्जी नियुक्ति पत्र ज्वाइनिंग हेतु दे दिया गया, इसकी जानकारी होने पर जब वादी द्वार अपने पैसे वापस मांगे गये तो अभियुक्तों द्वारा वादी को 630000 रुपया वापस कर दिया गया और बाकी 75000 रुपया वापस मांगने पर अभियुक्तों द्वारा वादी को गाली गुप्ता देते हुये जान से मारने की धमकी दी गयी। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 18/23 धारा 406/419/420/467/468/471/504/506 भादवि बनाम उपर्युक्त आदि 02 नफर पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 17/05/2023 को उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों 1-मनोज कुमार पुत्र सुरेश राम निवासी चांदमारी इमिलिया थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ हाल पता अजय नगर कामता चिनहट लखनऊ पूर्वी कमिश्नरेट लखनऊ 2.सीमा सेठ पुत्र मनोज कुमार निवासी चांदमारी इमिलिया थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ हाल पता अजय नगर कामता चिनहट लखनऊ पूर्वी कमिश्नरेट लखनऊ को आलियाबाद कटायी तिराहे पर हरई इस्माइलपुर जाने वाले रास्ते के पास से समय करीब 19.15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 0018/2023 धारा 406/419/420/467/468/471/504/506 भादवि थाना-जीयनपुर आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास -

मु0अ0सं0 0018/2023 धारा 406/419/420/467/468/471/504/506 भादवि थाना-जीयनपुर आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1-मनोज कुमार पुत्र सुरेश राम निवासी चांदमारी इमिलिया थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ हाल पता अजय नगर कामता चिनहट लखनऊ पूर्वी कमिश्नरेट लखनऊ
2.सीमा सेठ पुत्र मनोज कुमार निवासी चांदमारी इमिलिया थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ हाल पता अजय नगर कामता चिनहट लखनऊ पूर्वी कमिश्नरेट लखनऊ

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता मय हमराह थाना जीयनपुर, आजमगढ़।

थाना- मेंहनगर

किशोरी का अश्लील वीडियो बनाकर धमकी देते हुए पैसे मांगने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

वादी थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त अतीक उर्फ छोटक पुत्र इसराईल निवासी कस्बा मेहनगर जनपद आजमगढ़ द्वारा लगभग 01 वर्ष पूर्व वादी की नाबालिग पौत्री को बहला - फुसलाकर उसका अश्लील वीडियो बना लिया गया, जिसे पीडिता को दिखाकर धमकी देते हुए अभियुक्त द्वारा कई बार 10000, 15000 करके लगभग 500000 (पाँच लाख रुपया) लिया जा चुका है। पीडिता यह रुपया वादी के कपडे की तीन दुकानों के गल्लों से चोरी करके देती थी। इसमें अभियुक्त का सहयोग ओसामा पुत्र इसराईल, सरजील पुत्र इसराईल व सलमान पुत्र अज्ञात द्वारा किया जाता था। अभियुक्तों द्वारा स्कूल जाते वक्त पीडिता से रास्ते में छेड़खानी करते हुए पैसा मांगा जाता था ऐसा न करने पर पीडिता के पूरे परिवार को जान से मारने व वीडियो वायरल कर देने की धमकी दी जाती थी। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 112/23 धारा 34,354डी/386/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी की विवरण -

आज दिनांक 18.05.2023 को उ0नि0 अभिषेक सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सरजील पुत्र इसराईल सा0 वार्ड नं0 10 हरिवंश नगर कस्बा मेहनगर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ उग्र करीब 24 वर्ष को अक्षैबर पुलिया कस्बा मेंहनगर से समय करीब 09.50 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु.अ.सं. 112/23 धारा 34,354डी/386/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तगण -

सरजील पुत्र इसराईल सा0 वार्ड नं0 10 हरिवंश नगर कस्बा मेहनगर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 अभिषेक सिंह मय हमराह का0 अनिल चौधरी

थाना बरदह

गोकशी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार प्रतिबंधित पशु व एक पिकप वाहन बरामद

पूर्व की घटना

दिनांक 17.05.23 को उ0नि0 गोपाल जी ,उ0नि0 महेन्द्र प्रताप सिंह व उ0नि0 मानचन्द्र यादव द्वारा एक पिकप जो छत्तरपुर की तरफ लिंक रोड से समय करीब 22.05 बजे आती हुई दिखाई दिया, जिसे पुलिस बल द्वारा रोका - टोका गया तो पिकप में बैठे दो व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर पिकप से कूद कर भाग गये तथा पिकप में आगे ड्राईविंग सीट पर बैठे व्यक्ति को मौके पर पकड़ लिया गया , पकड़े गये व्यक्ति से उसका नाम व पता पूछने पर व्यक्ति द्वारा अपना नाम व पता पवन यादव पुत्र महेन्द्र यादव सा0 ग्राम हरिश्चन्द्रपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ बताया गया तथा भागे हुए दोनों व्यक्तियों का नाम व पता पूछने पर दोनों व्यक्तियों का नाम पता क्रमशः 1.शहवाज उर्फ कुन्नु पुत्र करिया उर्फ शाहिद सा0 ग्राम मुहम्मदपुर भितिया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 2.अबूशाद उर्फ खरवोटन पुत्र शविर सा0 ग्राम मुहम्मदपुर भितिया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ बताया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद गोवंशीय पशु (गाय) व एक अदद पिकप वाहन संख्या- UP50CT4457 बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 186/23 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम बनाम उपर्युक्त आदि 03 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 186/23 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बरदह जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 186/23 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बरदह जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

पवन यादव पुत्र महेन्द्र यादव सा0 ग्राम हरिश्चन्द्रपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

1-एक अदद गोवंशीय पशु (गाय) ,

2-एक अदद पिकप वाहन संख्या- UP 50 CT 4457

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 गोपाल जी, उ0नि0 महेन्द्र प्रताप सिंह व उ0नि0 मानचन्द्र यादव मय हमराह थाना बरदह जनपद आजमगढ़